न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 25/2023 बउनवानी रामसहाय माली बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री रूग्गा माली निवासी खानुपुर बडौदा की ढाणी पैमापुरा तह0 गंगापुर सिटी

GCMS No-2023/66

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.4.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:- -:प्रार्थी द्वारा रामसहाय माली द्वारा दिनांक 24.8.2022 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र को अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने कमांक 22/1063 दिनांक 13.9.2022 के नोटिस के साथ मूल ही तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। 1. तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को क्या रिपोर्ट भिजवायी गयी है। उसकी नकल दिलवायी जावे। 2. दिनांक 24.8.2022 के प्रार्थना पत्र मे माफी मंदिर श्री गोविन्द जी की भूमि स्थित खानपुर बडौदा पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के नाम दिये गये है जिनमे से सरवन पुत्र भोला ,लक्ष्मी पत्नि श्यामलाल को छोडकर शेष सभी व्यक्तियो के धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस की नकल की प्र0प्रति । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जवाब नोटिस कमांक/सू.का.अ/(2)/23/15 दिनांक 6.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 8.4.2023 के बिन्दु संख्या 1,2 में चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवगत कराया कि वांछित कुल तीन पृष्ठों की सूचना के लिए 6/-रू शुल्क जमा करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 242 दिनांक 20.6.2023 से लिखा जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा 6/-रू शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया है किन्तु शुल्क जमा हुआ है अथवा नही हुआ है के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:29 IST
Reason: SelfAttested